दिनांक 04.06.2015 को विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित झारखण्ड स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन सोसाईटी (JSWSMS) की शासी निकाय की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार।
2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
3. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
4. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
5. उप सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार।
6. संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड सरकार।
7. उप सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार।
8. निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार।
9. विशेष सचिव सह निदेशक, ग्रामीण जलापूर्त्ति एवं स्वच्छता परियोजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
10. अभियन्ता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
11. मुख्य अभियन्ता सह कार्यकारी निदेशक, पी0एम0यू0, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
12. निदेशक, दूरदर्शन, राँची के प्रतिनिधि।
13. Water, Sanitation & Hygiene Specialist, UNICEF, Ranchi के प्रतिनिधि।

बैठक की कार्यवाही :–

विशेष सचिव सह निदेशक द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों को नीर निर्मल परियोजना (RWSSP-LIS) की विस्तृत रूपरेखा तथा परियोजना के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। इनके द्वारा परियोजना में अभी तक किये गये कार्यों के संबंध में Presentation के माध्यम से सदस्यों को अवगत कराया गया तथा यह भी सूचित किया गया कि दो वृहद बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना (LMVS) तथा दस एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (SVS) का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार के द्वारा किया गया है तथा दोनों वृहद बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना (LMVS) का Agreement भी किया जा चुका है, जिसपर सभी सदस्यों के द्वारा बधाई दी गई। सभी सदस्यों को यह भी जानकारी दी गई कि एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (SVS) से संबंधित सभी कार्य यथा निविदा प्रकाशन से भुगतान तक का कार्य एवं योजना का रखरखाव का कार्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता के निर्देशन में DPMU एवं DPMC/S.O. के माध्यम से कराया जाना है।

बैठक में प्रस्तुत किये गये विभिन्न प्रस्तावों एवं विचारार्थ लाये गये बिन्दुओं पर निम्न निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये :–

प्रस्ताव सं0–1 : दिनांक 10.04.14 को शासी निकाय की बैठक की कार्रवाई के अनुपालन प्रतिवेदन का अनुमोदन।

निर्णय : सर्वसम्मति से शासी निकाय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन पर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0–2 : कार्यकारी समिति की दिनांक 27.11.14 एवं 01.05.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

निर्णय : विभागीय सचिव एवं विशेष सचिव सह निदेशक द्वारा उक्त दोनों बैठकों में कार्यकारी समिति द्वारा लिए गये विभिन्न निर्णयों के संबंध में Presentation के माध्यम से विस्तृत

जानकारी दी गई। तत्पश्चात् उपस्थित सदस्यों के द्वारा कार्यकारी समिति की इन बैठकों में लिये गये विभिन्न निर्णयों पर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0–3 : अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

(क) परियोजना से संबंधित नीतिगत बिन्दुओं एवं अन्य पहलुओं से शासी निकाय को समय–समय पर अवगत कराये जाने एवं निर्देश प्राप्त करने के आशय से शासी निकाय की बैठक एक साल में कम से कम दो बार कराये जाने का प्रस्ताव विभागीय सचिव द्वारा दिया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(ख) शासी निकाय की पूर्व बैठक में स्वीकृत Project Implementation Plan (PIP) में दर्शायी गयी विभिन्न योजनाओं के निर्माण से संबंधित Per capita cost वर्तमान में राज्य में निर्माणाधीन NRDWP अन्तर्गत समतुल्य योजनाओं की वास्तविक Per capita cost से कम होने के तथ्य से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। बैठक में इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन अद्यतन SOR पर निर्मित DPRs पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति उपरान्त कराया जाए।

(ग) परियोजना के लिए स्वीकृत PIP एवं Project Appraisal Document (PAD) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ग्राम स्तर पर VWSCs एवं अन्य PRIs के क्षमतावर्द्धन एवं Hand holding हेतु परियोजनाधीन चार जिलों में अनुबंधित जिला परियोजना प्रबंधन सलाहकार (DPMC) के कार्यों की समीक्षा उनके अनुबंध तथा ToR के आधार पर की गई। समीक्षा प्रतिवेदन कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निदेशार्थ दिनांक 01.05.15 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त समिति द्वारा विशेष सचिव सह निदेशक की अध्यक्षता में एक समीक्षा दल का गठन किया गया, जिसमें उपसचिव, वित्त विभाग, मुख्य अभियंता, PMU, अधीक्षण अभियंता (SPMU), UNICEF के प्रतिनिधि एवं संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को सदस्य के रूप शामिल किया गया।

कार्यकारी समिति के निर्देशानुसार DPMC की संस्थागत व्यवस्था, उनके द्वारा किये गये कार्यों आदि की समीक्षा अनुबंध एवं ToR में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर दिनांक 03.06.15 को की गई। उक्त समीक्षा के दौरान पाये गये मुख्य बिन्दुओं एवं निष्कर्षों से शासी निकाय के सदस्यों को विशेष सचिव सह निदेशक द्वारा अवगत कराया गया। विचारोपरान्त शासी निकाय द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि DPMCs के अनुबंध समाप्ति में कुछ ही माह शेष रह गये हैं एवं परियोजना के शुरूआती संस्थागत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की शेष अवधि तक सभी DPMCs को अपने कार्यों में तेजी एवं गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश दिया जाए। कार्यपालक अभियंताओं को भी संबंधित DPMCs से अनुबंध के अनुसार परामर्श एवं सहयोग प्राप्त कर परियोजना की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया जाए। अनुबंध अवधि के समाप्ति पूर्व पुनः उनके कार्यों/आवश्यकता की समीक्षा कर कार्यकारी समिति के समक्ष समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए एवं कार्यकारी समिति से प्राप्त निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(घ) विभागीय सचिव के द्वारा शासी निकाय के सदस्यों को सूचित किया गया कि भारत सरकार के द्वारा पूर्व के त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के स्थान पर वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका परिशिष्ट–7 अनुखंड–1 में State Water and Sanitation Mission Society का गठन किया जाना था। तदनुसार राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में झारखण्ड स्टेट

वाटर एंड सैनिटेशन मिशन सोसाईटी (JSWSMS) का निबंधन, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत दिनांक 06.07.2013 को किया गया। वर्त्तमान में इस सोसाईटी के अन्तर्गत भारत सरकार एवं विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (RWSSP-LIS) का संचालन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) वर्त्तमान में भी त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ARWSP) के संचालन हेतु तत्कालीन मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष 2004 में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में निबंधित Programme Management Unit (PMU) संस्था के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। इस तरह वर्तमान में विभाग के अन्दर दो समानान्तर निबंधित संस्थाएँ कार्यरत हैं। चूंकि JSWSMS भारत सरकार की अद्यतन मार्गनिर्देशिका के अनुरूप है एवं लगभग 10 से अधिक संबंधित विभागों के सचिव/प्रधान सचिव इस सोसाईटी के सदस्य हैं। फलस्वरूप वृहद स्तर पर नीतिगत निर्णय, विभिन्न विभागों में समन्वय, ग्रामीणों एवं PRIs की सहभागिता सुनिश्चित करना सुलभ होता है।

शासी निकाय द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्ष 2004 में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में निबंधित Programme Management Unit (PMU) को समाप्त करते हुए Jharkhand State Water and Sanitation Mission Society (JSWSMS) के अन्तर्गत NRDWP एवं SBM (G) आदि का संचालन भी इसी सोसाईटी के अन्तर्गत किया जाय। इस हेतु आवश्यक संशोधन किया जाय। विशेष सचिव एवं CE, PMU संयुक्त रूप से कार्रवाई दो माह में पूर्ण करें।

(च) शासी निकाय के सदस्यों को सूचित किया गया कि परियोजनाधीन जिलों में NRDWP के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाएं एवं नीर निर्मल परियोजना के अन्तर्गत ली जाने वाली योजनाओं के Standard Bid Documents में कई प्रावधानों में एकरूपता नहीं है। फलस्वरूप संवेदकों एवं विभागीय स्तर पर अभियंताओं द्वारा भी योजनाओं के चयन से लेकर क्रियान्वयन तक अलग–अलग मापदंड अपनाये जाते हैं।

इसपर शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया कि इन जिलों में योजनाओं में एकरूपता बनाये रखने हेतु अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए जिसमें मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक, पी0एम0यू0, परियोजनाधीन जिलों के संबंधित अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, नीर निर्मल परियोजना तथा अधिप्राप्ति विशेषज्ञ, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, नीर निर्मल परियोजना इसके सदस्य होंगे। यह समिति यथाशीघ्र अपनी अनुशंसा विशेष सचिव सह निदेशक को समर्पित करेगी।

(छ) कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 01.05.15 को दिये गये निर्देश के आलोक में परियोजना अन्तर्गत External & Internal Auditor के चयन हेतु EoI का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया है जिसके आलोक में विभिन्न Chartered Accountants के द्वारा प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त हुए हैं जिसका मूल्यांकन यथाशीघ्र किया जायेगा। शासी निकाय द्वारा निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 का अंकेक्षण यथाशीघ्र Chartered Accountants का चयन कर सम्पन्न किया जाय। भविष्य में CA की नियुक्ति वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व किया जाय। जून तक प्रतिवेदन का नियमितीकरण किया जाय।

(ज) विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा सदस्यों को सूचित किया गया कि परियोजनाधीन जिलों में छोटी योजनाओं यथा एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (SVS) का सभी कार्य यथा निविदाओं का निस्तार, भुगतान एवं रखरखाव ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

(VWSC) के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन परियोजनाधीन जिलों में NRDWP के द्वारा भी अपनी योजनाओं का निर्माण, निविदाओं का निस्तार एवं भुगतान सामान्यतः प्रमंडल स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। संवेदकों द्वारा नीर निर्मल परियोजना में रूचि नहीं दिखाई जा रही है तथा परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रस्ताव दिया गया कि नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत शामिल जिलों में District wide approach के आधार पर कार्य किया जाए ताकि इन जिलों के कार्यों में एकरूपता बनी रहे। उक्त प्रस्ताव को देखते हुए शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजनाधीन छः जिलों में सभी नई योजनाओं का कार्य नीर निर्मल परियोजना के मार्गनिर्देशिका के आधार पर ही कार्यान्वित किया जाएगा। सामान्यतः NRDWP से इन जिलों में कोई भी नयी योजनाएँ संचालित नहीं की जाएगी। NRDWP/ राज्य योजना की Ongoing schemes का समापन एवं रखरखाव ही इन परियोजनाधीन जिलों में किया जायेगा।

अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह0/–
(आर0एस0 पोद्दार)
विकास आयुक्त
झारखण्ड सरकार

ज्ञापांक – JSWSMS/WB/GB-30/15- 403 राँची, दिनांक – 09.06.15

प्रतिलिपि : 1. विकास आयुक्त, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग, कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

3. अभियन्ता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/मुख्य अभियन्ता सह कार्यकारी निदेशक, पी0एम0यू0, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, राँची/निदेशक, आकाशवाणी, राँची/निदेशक, दूरदर्शन, राँची/Water, Sanitation & Hygiene Specialist, UNICEF, Ranchi को सूचनार्थ प्रेषित।

उपाध्यक्ष–सह–सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति
झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसाईटी
(JSWSMS)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।